न्यायालय : जिला न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

(समक्ष : ऋषभ कुमार सिंघई)

नियमित व्यवहार अपील क्र. : 01(A)/2018
F.No.RCA/1/2018
संस्थित दिनॉक : 09-01-2018

भंवरलाल आ. स्व. गुलाब, आयु 65 वर्ष
निवासी ग्राम पालखेड़ी, तहसील इछावर,
जिला सीहोर (म.प्र.)

– – – –**अपीलार्थी / वादी**

:: **ब ना म** ::

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, सीहोर
जिला सीहोर (म.प्र.)

– – – – – **प्रत्यर्थी / प्रतिवादी**

उपस्थिति में :

अपीलार्थी द्वारा श्री एल.ए. सैफी, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी / शासन द्वारा श्री ओ.पी. मिश्रा, शास0अधि0।

न्यायालय–प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, इछावर, जिला सीहोर द्वारा व्यवहार वाद क्र.4(अ) / 2016 में पारित निर्णय एवं जयपत्र दिनॉक 15.12.2017 के विरूद्ध अपील।

:: **नि र्ण य** ::

(आज दिनॉक : 06/08/2018 **को पारित)**

1. धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपीलार्थी / वादी की ओर से वर्तमान अपील प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, इछावर, जिला सीहोर के न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्र.4(अ) / 2016 में पारित निर्णय एवं जयपत्र दिनॉक

15–12–2017 से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध ग्राम पालखेड़ी, तहसील इछावर जिला सीहोर स्थित पट्‌टे की भूमि सर्वे क्र. 181/13 रकबा 1.416 हेक्टेयर, 183/1 रकबा 0.607 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि सर्वे क्र.182 रकबा 0.890 हेक्टेयर (जिसे आगे 'विवादित भूमि' से संबोधित किया जायेगा) के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी का वाद संक्षेप में यह रहा है कि विवादित भूमि शासकीय भूमि राजस्व पत्रों में काबिल कास्त दर्ज है। वादी करीब 35 वर्ष से उक्त भूमि को हांक–जोत कर बीढ़ को आवाद कर खेती कर रहा है। श्रम व रूपये लगाकर उसने विवादित भूमि को कृषि योग्य बनाया है। भूमि पर रहवासी मकान बनाया है, जिसमें अपने पत्नी बच्चों के साथ निवास करता है। विद्युत कनेक्सन करीब 15 वर्ष से लगा है। वादी के निरंतर कब्जे को देखते हुये म0प्र0शासन के अधिकारियों द्वारा विवादित भूमि का पट्‌टा दिया गया है, तब से निरंतर वादी उक्त भूमि पर बतौर मालिक भूमिस्वामी होकर कृषि लाभ प्राप्त कर रहा है। अप्रैल 2016 के दूसरे सप्ताह से शासन के अधिकारियों द्वारा अवैधानिक तरीके से बलपूर्वक बिना किसी लिखित आदेश के वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विवादित भूमि शमशान को दी जा रही है, वादी को अन्य जगह भूमि दे देगें। शमशान का कोई अक्स नहीं बनाया गया है, पृथक से कोई एलॉटमेंट नहीं किया गया है। शासन को दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि पर वादी का 35 वर्षों से कब्जा सबके ज्ञान में होने से उसके विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व परिपक्व हो चुके हैं। वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से

प्रतिवादी को धारा 80 व्य0प्र0सं0 का नोटिस दिया, परन्तु उसका कोई जबाव नहीं दिया गया। अतः वादी का वाद स्वीकार कर उसे विवादित भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी घोषित किया जाये और वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में प्रतिवादी या उनके कर्मचारी/अधिकारी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करें, न ही अन्य से करायें।

4. विचारण न्यायालय में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से वादोत्तर पेश कर वादी के समस्त अभिकथनों से इंकार किया गया है। उनका कहना है कि खसरा नं.181/1 रकबा 16.964 हेक्टेयर है और खसरा नं.183 रकबा 2.157 हेक्टेयर है, जो शासन की निस्तार प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखी गई भूमि है और खसरा नं.182 रकबा 0.890 हेक्टेयर शमशान की भूमि है, जो ग्रामवासियों के उपयोग में आती है, इसका पट्टा भी नहीं दिया गया है। प्रतिवादी का अतिरिक्त कथन में यह भी कहना है कि सर्वे नं.182 रकबा 0.890 हेक्टेयर भूमि पूर्व से ही शमशान के लिये आरक्षित भूमि है, जिस पर वादी द्वारा पूर्व में जो बेजा कब्जा किया गया था, उसे बेदखल किया जाकर उसके चारों ओर नाली खुदवाई गई है। वादी किसी प्रकार की कोई सहायता पाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद निरस्त किया जाये।

5. विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर उनकी साक्ष्य अंकित की जाकर गुण–दोष के आधार पर दिनॉक 15–12–2017 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर वादी का वाद प्रमाणित नहीं पाये जाने के आधार पर निरस्त किया गया है।

6. विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी/वादी द्वारा वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री विधि की प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय

ने दस्तावेजों एवं साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के पट्टे को वैध मानते हुये वाद प्रश्न संख्या–1 को प्रमाणित माना है, परन्तु अपीलार्थी का स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वाद निरस्त करने में भूल की है। वाद प्रश्न संख्या–2 को अप्रमाणित मानकर भूल की गई है। अतः अपीलार्थी/वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाये।

7. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील का विरोध किया गया। उनके द्वारा, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया गया है। उनका यह कहना है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि–अनुरूप उचित रूप से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील निरस्त की जाये।

8. विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :–

> ''क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद निरस्त करने संबंधी अभिलिखित किये गये निष्कर्ष सुसंगत विधिक स्थिति एवं अभिलेखगत साक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं ?''

:: **सकारण निष्कर्ष** ::

9. अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दिनांक 16.03.2001 के करीब 25 वर्ष पहले से वादी/अपीलार्थी का कब्जा होने से वह उस पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। वादी ने मौखिक साक्ष्य भी पेश की है। जबकि प्रत्यर्थी ने खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। वादी ने पट्टे वाली भूमि पर खेती के साधन जुटाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के पट्टे को वैध माना है, फिर भी अपीलार्थी का वाद निरस्त करके भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर अपीलार्थी के पक्ष में डिक्री पारित की जाये।

10. यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादी के वाद पत्र के पैरा–4 अनुसार उसे खसरा नं.181/13 रकबा 1.416 हेक्टेयर तथा खसरा नं.183/1 रकबा 0.607 हेक्टेयर का पट्टा मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिया गया है, इस तथ्य का कोई विनिर्दिष्ट प्रत्याखान प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अपीलार्थी/वादी की ओर से प्र.पी.5 के असल पट्टे को पेश किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 16.03.2001 को जारी पट्टा अनुसार उक्त भूमि वादी को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार पर विक्रय से प्रतिबंधित और अहस्तांतरणीय होने की शर्त के साथ आवंटित की गई है। किश्तबंदी खतौनी प्र.पी.12 में भी उक्त दोनों सर्वे नम्बर पर भूमिस्वामी पट्टेदार के रूप में वादी का नाम अभिलिखित है, खसरा में भी शासकीय पट्टेदार के रूप में अभिलिखित है और भूमि को अहस्तांतरणीय बताया गया है। वादी की ओर से विद्युत कनेक्सन के बिल भी प्र.पी.17 लगायत प्र.पी.20 पेश किये गये हैं। वा.सा.1 अनोखीलाल, वा.सा.2 रूपसिंह ने भी इस भूमि का पट्टा वादी को दिये जाने का कथन किया है, और वादी के कब्जे का कथन किया है।

11. वा.सा.1 अनोखीलाल जिरह में कहता है कि यह सही है कि वादी के पट्टे की जमीन अलग है और मरघट की जमीन अलग है। वा.सा.2 रूपसिंह भी जिरह में कहता है कि वादी को उसके समक्ष शासन द्वारा 5 एकड़ यानि ढ़ाई–ढ़ाई एकड़ के दो पट्टे दिये गये हैं। यह सही है कि उसी भूमि पर भंवरलाल का कब्जा है और वही उसे हांकता जोतता है। वादी वा.सा.3 भंवरलाल ने भी उक्त भूमि के पट्टे, कब्जे, भूमि पर मकान, निवास करने और फसल लेने के कथन करते हुये सर्वे नं. 182 रकबा 0.890 हेक्टेयर भूमि राजस्व पत्रों में शासकीय भूमि दर्ज होना बताया है, और उस पर 35 वर्षों से लगातार अपना कब्जा होना बताया है। परन्तु वादी ने खसरा नं.182 पर अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

12. वा.सा.3 भंवरलाल जिरह में कहता है कि यह सही है कि उसे पट्टे पर मिली भूमि से शासन बेदखल करना चाहता है, इसलिए उसने दावा लगाया है। यह सही है कि उसका मकान पट्टे वाली भूमि पर बना हुआ है। यह सही है कि उसने प्र.पी.3 की किश्तबंदी खतौनी और प्र.पी.4 के खसरे की नकल प्रस्तुत की है, दावा इसी भूमि के संबंध में पेश किया है। यह सही है कि जो भूमि सरकार के नाम पर है, उसके संबंध में कोई नकल खसरा एवं खतौनी प्रस्तुत नहीं की है। यह सही है कि उसने दावा केवल इस बात का लगाया है कि उसके पट्टे की भूमि में कोई दखलनदाजी न करे, इसके अलावा वह अन्य कोई अनुतोष नहीं चाहता। अतः स्पष्ट है कि वादी ने स्वयं भी खसरा नं.182 रकबा 0.890 हेक्टेयर के संबंध में अपने कथन के अनुसार कोई अनुतोष नहीं चाहा है, और उक्त खसरा नम्बर स्वयं वादी के अनुसार शासकीय है, जिसके कब्जे का कोई दस्तावेज वादी ने पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, वादी के कब्जे के संबंध में और पट्टे वाली भूमि के कब्जे के संबंध में भी खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी निर्णय के चरण–16 में भी उक्त भूमि वादी को पट्टे पर प्राप्त होना और वादी का आधिपत्य होना प्रमाणित पाया है। वादी ने उक्त भूमि से उसे प्रत्यर्थी द्वारा बेकब्जा किये जाने की संभावना की साक्ष्य भी पेश की है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टे वाली भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का अधिकारी न पाकर और स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वाद को प्रमाणित न पाकर भूल की है।

13. वादी मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से भूमि सर्वे नं.182 रकबा 0.890 हेक्टेयर पर निरंतर 30 वर्षों से विरोधी आधिपत्य भी संभावना की बहुलता से प्रमाणित करने में असफल रहा है। यह स्पष्ट है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य से सर्वे नं.182 रकबा 0.890 हेक्टेयर भूमि के संबंध में वादी विरोधी आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उक्त भूमि के

संबंध में वाद निरस्त किया जाना उचित है। भूमिस्वामी अधिकार भी वादी को पट्‌टे में दिये गये शर्तो के अधीन हैं। अतः इस संबंध में भी पूर्ण अनुतोष न दिया जाना भी उचित है।

14. फलस्वरूप विवादित भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व जयपत्र अपास्त किया जाता है, उसके स्थान पर वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नं.181/13 रकबा 1.416 हेक्टेयर और सर्वे नं.183/1 रकबा 0.607 हेक्टेयर का वादी पट्‌टाग्रहिता होने से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा विधि की प्रक्रिया अपनाये बिना प्रतिवादी द्वारा वादी के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न किया जाये। भूमि सर्वे नं.182 रकबा 0.890 हेक्टेयर की सहायता के संबंध में और शेष सहायता के संबंध में अपीलार्थी/वादी का वाद स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

15. दोनों पक्ष वाद का और अपील का व्यय अपना–अपना व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणानुसार अथवा नियमानुसार जो कम हो जोड़ा जाये। तदनुसार डिक्री तैयार की जाये।

खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर प्रसारित किया गया।

RISHABH KUMAR SINGHAI

Digitally signed by RISHABH KUMAR SINGHAI
Date: 2018.08.20 01:06:48 -07'00'

(ऋषभ कुमार सिंघई)
जिला न्यायाधीश,
सीहोर (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(ऋषभ कुमार सिंघई)
जिला न्यायाधीश,
सीहोर (म.प्र.)

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

Appeal No. 1(A)/2018

IN THE COURT OF : DISTRICT JUDGE, SEHORE (M.P.)

भंवरलाल आ. स्व. गुलाब, आयु 65 वर्ष
निवासी ग्राम पालखेड़ी, तहसील इछावर,
जिला सीहोर (म.प्र.) – – – – –**अपीलार्थी / वादी**

:: **ब ना म** ::

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, सीहोर
जिला सीहोर (म.प्र.) – – – – – – **प्रत्यर्थी / प्रतिवादी**

Appeal from the decree of Court : Addl. CJ to I-CJ-I, Ichhawar, Dist. Sehore (M.P.) dated the 15 day 12- 2017 in civil suit No. 4(A) of 2016

This appeal coming on for hearing on the 09 day of 01- 2018
before in the presence of
श्री एल.ए. सैफी, अधिवक्ता for the appellant
and of प्रत्यर्थी / शासन द्वारा श्री ओ.पी. मिश्रा शास.अधिवक्ता।
for the respondent

it is ordered and decreed that :

(1) यह कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व जयपत्र अपास्त किया जाता है, उसके स्थान पर वादी / अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नं.181 / 13 रकबा 1.416 हेक्टेयर और सर्वे नं. 183 / 1 रकबा 0.607 हेक्टेयर का वादी पट्टाग्रहिता होने से प्रत्यर्थी / प्रतिवादी द्वारा विधि की प्रक्रिया अपनाये बिना प्रतिवादी द्वारा वादी के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न किया जाये। भूमि सर्वे नं.182 रकबा 0.890 हेक्टेयर की सहायता के संबंध में और शेष सहायता के संबंध में अपीलार्थी / वादी का वाद स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

(2) यह कि दोनों पक्ष वाद का और अपील का व्यय अपना–अपना व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणानुसार अथवा नियमानुसार जो कम हो जोड़ा जाये।

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees

are to be paid by the

the cost of the original suit be paid by the

Given under my hand and the seal of the Court, this **06** day of **08 - 2018**

Sd/-

Judge

COST OF APPEAL

Appeallant	Amount		Respondent	Amount	
1. Stamp for memorandum of appeal	640	00	Stamp for power	-	-
objections or Petitions	-		Stamp for petitions/	-	-
2. Stamp for power	10	00	Applications	-	-
3. Stamp for exhibits/Application	-	-	Service of Processes	-	-
4. Service of Processes	2	00	Pleader's fee on Rs.	-	-
5. Pleader's fee on Rs (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-	-			
6. Translation fee	-	-			
TOTAL	**652**	**00**	**TOTAL**	**-**	**-**

Sd/-

Date : -----/08/2018 Judge

प्रतिलिपि :–

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, इछावर, जिला सीहोर के न्यायालय की ओर मय मूल अभिलेख व्यवहार वाद क्रं.4ए/16 के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ऋषभ कुमार सिंघई)
जिला न्यायाधीश,
सीहोर (म.प्र.)